

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)  
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा ( आर. ए. एस. )

अनुवान :- ईश्वरसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 135 / 2024

निर्णय दिनांक :- 24/7/24

1. ईश्वरसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. रामकरण पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. किशनलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. प्रतापसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. प्रभुदयाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
6. कानाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट

- उपस्थित :- 1. श्री प्रभुदयाल सहारण, देवकरण प्रजापत अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कृषिभूमि खाता सं. नया 160 पुराना 159 खसरा नं. 146 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 151 तादादी 4.2487 हैक्टेयर, खसरा नं. 79 तादादी 7.0053 हैक्टेयर वाकै रोही मौजा गाजुवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है उक्त कृषिभूमि के पड़ोसियान हमेशा सीव बावत प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकते और ना ही अपने खेत को सुधार सकते है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थीगण की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहते है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

अधिकारी  
तारानगर (चूरू)

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की कृषिभूमि कृषिभूमि खसरा नं. 146 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 151 तादादी 4.2487 हैक्टेयर, खसरा नं. 79 तादादी 7.0053 हैक्टेयर वाकै रोही मौजा गाजुवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर भूमि के रिकॉर्डेंड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काशत की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा नं. 146 तादादी 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 151 तादादी 4.2487 हैक्टेयर, खसरा नं. 79 तादादी 7.0053 हैक्टेयर वाकै रोही मौजा गाजुवास पटवार हल्का गाजुवास तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्ह का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगे। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 तारानगर (बूले)

निर्णय आज दिनांक ...24/7/24...को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 तारानगर (बूले)